vuqyXud-I

(lanHkZ vuqPNsn la[;k 1.8.5)

अनुच्छेदों की स्थिति जो लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रकट हुए तथा जिन पर चर्चा लम्बित रही/जिनके
30 सितम्बर 2012 तक उत्तर प्राप्त नहीं हुए।

dj dk uke		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	;ksx
बिक्रियों, व्यापार आदि पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/पी.ए.सी. में चर्चा हेतु लम्बित	8	9	13	12	12	54
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	0	0	12	12
मोटर वाहनों पर कर	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/पी.ए.सी. में चर्चा हेतु लम्बित	1	8	2	2	3	16
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	3	0	0	3	6
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/पी.ए.सी. में चर्चा हेतु लम्बित	3	5	5	1	6	20
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	5	5	1	6	17
राज्य उत्पाद शुल्क	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/पी.ए.सी. में चर्चा हेतु लम्बित	2	2	4	2	1	11
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	0	0	0	0	1	1
अन्य	ले.प.प्र. में प्रकट अनुच्छेद/पी.ए.सी. में चर्चा हेतु लम्बित	2	7	4	4	1	18
	अनुच्छेदों के उत्तर प्राप्त नहीं हुए	1	1	0	1	1	4
;ksx	y-i-i- esa izdV vuqPNsn@ ih-,-lh- esa ppkZ gsrq yfEcr	16	31	28	21	23	119
	y-i-i- esa 1fEefyr vuqPNsnksa ds ,-Vh-,u t iklr ugha gq,	1	9	5	2	23	40

vuqyXud-II

(lanHkZ vuqPNsn la[;k 1.8.5)

लोक लेखा समिति की बकाया अनुशंसाओं के विवरण जिन पर अभी सरकार ने अन्तिम निर्णय लेना है।

Ø- la-	ih-,-lh- fjiksVZ la[;k	cdk;k vuq'kalkvksa dh dqy la[;k	y{kkijh{kk ifrosnu dh vof/
1ए	19	1	1977.78
2ए	22	5	1978.79
3ए	23	5	1979.80
4ए	25	4	1980.81
5ए	26	3	1981.82
6ए	28	2	1982.83
7ए	29	8	1983.84
8ए	32	5	1984.85
9ए	34	12	1985.86
10ए	36	7	1986.87
11ए	38	13	1987.88
12ए	40	25	1988.89
13ए	42	31	1989.90ए 1990.91ए 1991.92
14ए	44	41	1990.91ए 1991.92ए 1992.93
15ए	46	9	1993.94
16ए	48	10	1993.94ए 1994.95
17ए	50	41	1993.94ए 1994.95ए 1995.96
18ए	52	31	1996.97
19ए	54	43	1997.98
20ए	58	64	1999.2000
21ए	60	38	2000.01
22ए	62	46	2001.02
23ए	63	54	2002.03
24ए	64	57	2003.04
25ए	65	51	2004.05
26ए	67	52	2005.06
;ksx		658	

vuqyXud-III

(lanHkZ vuqPNsn la[;k 1.9.1)

30 जून 2012 को बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के विवरण।

o"kZ	cdk;k vkbZ-vkj-t dh la[;k	vuqPNsn	jkf'k (djksM+ esa)
2001.02 तक	74	115	31.43
2002.03	16	40	2.36
2003.04	18	43	3.81
2004.05	23	82	4.26
2005.06	22	117	215.94
;ksx	153	397	**257.80**
2006.07	26	142	29.69
2007.08	31	217	55.19
2008.09	31	206	133.04
2009.10	32	293	263.70
2010.11	1	16	1.01
dqy ;ksx	274	1,271	**740.43**

vuqyXud-IV

(lanHkZ vuqPNsn la[;k 1.9.2.2)

वर्ष 2002–03 से 2010–11 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित समीक्षाओं तथा अनुशंसाओं के विवरण।

y[kkijh{kk izfrosnu dk o"kZ	leh{kk dk uke	dh xbZ vuq'kalkvksa dk fooj.k
2002.03	विभिन्न स्तरों पर अपीलों की लम्बनता तथा राजस्व संग्रहण पर इसका प्रभाव	प्रणाली की कारगरता में सुधर के लिए सरकार विचार कर सकती हैः ➢ अपील मामलों के निपटान हेतु मानक प्राप्त नहीं किए गए थे। संचित बकायों को चुकाने के लिए उपयुक्त उपाय अपेक्षित हैंऋ ➢ स्तर पर अपीलों एवं रिमांड मामलों की प्राप्तियों एवं निपटान की मानीटरिंग सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता थी ताकि नियमों के अंतर्गत निर्धरित प्रक्रिया/प्रणाली की अनुपालना कड़ाई से की जा सकेऋ ➢ निर्धरण प्राध्किारियों द्वारा समय पर अंतिमकरण करने के लिए समर्थ बनाने हेतु अपील प्राध्किारी द्वारा पारित आदेशों के संप्रेषण हेतु राज्य सरकार को समय सीमा का निर्धरण करना चाहिएऋ तथा ➢ सरकार/विभाग द्वारा जारी अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए सरकार को मजबूत आंतरिक नियंत्राण प्रणाली का विकास करना चाहिए।
2003.04	कर निर्धरणों में विलम्ब तथा राजस्व एवं बिक्री कर मांगों के संग्रहण पर उनका प्रभाव	प्रणाली की कारगरता में सुधर के लिए राज्य सरकार विचार कर सकती हैः ➢ मामलों के समयब(कर निर्धरण हेतु अधिनियम/नियमों में प्रावधनों को शामिल करनाऋ ➢ सरकारी देयों की समयपूर्व वसूली करने के लिए समर्थ बनाने हेतु डिमांड नोटिसों तथा ए.एज. द्वारा पारित आदेशों के संप्रेषण हेतु समय सीमा निर्धरित करनाऋ तथा ➢ सरकार/विभाग द्वारा जारी अनुदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए मजबूत आन्तरिक नियंत्राण प्रणाली का विकास करना।
2004.05	रिमांड एवं समीक्षा मामलों के निपटान में विलम्ब	मामलों के तीव्र निपटान हेतु तथा प्रणाली की कारगरता में सुधर के लिए राज्य सरकार विचार कर सकती हैः ➢ अधिनियम के प्रावधनों के अनुसार, संयुक्त आबकारी एवं कराधन आयुक्त ;अपीलद्ध क्ष्जे.ई.टी.सी ;अपीलद्धद्ध, डी.ई.टी.सी., ए.ए.–वार स्तर पर रिमांड मामलों की मानीटरिंग के लिए, अनिवार्य रिमांड मामलों का अपील रजिस्टर जैसे अभिलेखों का अनुरक्षण करना। ➢ रिमांड मामलों के अंतिमकरण तथा ए.ए. को अपील प्राध्किारी द्वारा पारित आदेशों के संप्रेषण हेतु समय–सीमा निर्धरित करना।
2005.06	बिक्री कर में अपवंचन	अपवंचन की घटना पर नियंत्राण करने के विचार से राज्य सरकार विचार कर सकती हैः ➢ अपंजीकृत डीलरों को कर के दायरे में लाने के लिए प्रतिवर्ष पर्याप्त एवं नियमित सर्वेक्षण सुनिश्चित करनाऋ ➢ कर निर्धरण अंतिम करने से पहले अन्य परिमंडलों/राज्यों

y[kkijh{kk izfrosnu dk o"kZ	leh{kk dk uke	dh xbZ vuq'kalkvksa dk fooj.k
		के साथ घोषणा फार्मों के विरू(लेन–देनों का क्रास सत्यापन सुनिश्चित करनाऋ ➢ कर की छूट/रिआयती दर अनुमत करने से पहले यह सुनिश्चित करना कि लेन–देन सही ढ़ंग से भरे गए निर्धरित सांविध्कि घोषणा–फार्मों एवं प्रमाण द्वारा समर्थित हैंऋ तथा ➢ राजस्व का प्रकटन रोकने के लिए विभाग के फील्ड कार्यालय के समुचित कार्यचालन को मानीटर करने के लिए आन्तरिक नियंत्राण प्रणाली का विकास करना।
2006.07	बिक्री कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण	बिक्री कर के समुचित एवं प्रभावी निर्धरणों एवं संग्रहण के लिए राज्य सरकार विचार कर सकती हैः ➢ बिक्री कर निर्धरण मामलों के मासिक निपटान हेतु मानक निर्धरित करना क्योंकि एच.जी.एस.टी. अधिनियम अप्रैल 2003 से रद्द किया गया हैऋ तथा ➢ वसूली कार्यवाहियों के प्रारंभ हेतु समय सीमा नियत करने के लिए अधिनियम/नियमों में संशोध्न करना।
2007.08	बिक्री कर/वैट अधिनियम के अंतर्गत छूट एवं रिआयतें	सरकार निम्न पर विचार कर सकती हैः ➢ घोषणा फार्म एस.टी.–14 में सम्मिलित अनुसार घोषणा फार्म वैट सी–4 में जमा करवाए गए कर के सम्बन्ध् में समान प्रावधन शामिल करने तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट ;आई.टी.सी.द्ध अनुमत करते समय विक्रेता डीलरों द्वारा जमा करवाए गए कर की यथार्थता तथा सत्यता सुनिश्चित करने के लिए विभाग द्वारा इन फार्मों का प्रमाणीकरण/प्रचालन करनाऋ ➢ कर निर्धरणों के अन्तिमकरण से पहले अन्य परिमण्डलों/राज्य के साथ घोषणा फार्मों के विरू(लेन–देनों के क्रास सत्यापन सुनिश्चित करना तथा ऐसे क्रास सत्यापन के परिणामों की उच्च प्राध्किारियों को रिपोर्टिंग भी निर्धरित करनाऋ ➢ छूट/कर–मुक्त बिक्रियों के दावे के लिए पी.वी.सी. पाइपों तथा सम्बन्ध्ति सामान की बिक्रियों के प्रमाण/सबूत सहित बिक्रियों की सूची का प्रस्तुतिकरण निर्धरित करनाऋ तथा ➢ प्रत्यर्पण प्रकरणों तथा बिक्री कर राजस्व के निर्धरण, उद्ग्रहण तथा संग्रहण में त्राुटियों का समय पर पता लगाने तथा सुधर सुनिश्चित करने के लिए बिक्री कर विभाग में आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग स्थापित करना।
2008.09	बकाया बिक्री कर/वैट की वसूली	बिक्री कर/वैट के बकायों के समुचित एवं प्रभावी संग्रहण हेतु राज्य सरकार विचार कर सकती हैः ➢ बिक्री कर/वैट राजस्व के निर्धरण, उद्ग्रहण एवं संग्रहण में बकायों का समय पर पता लगाने एवं सुधर सुनिश्चित करने के लिए आन्तरिक लेखापरीक्षा विंग का सुदृढ़ीकरणऋ ➢ वसूली कार्रवाइयों का उनके प्रारंभ एवं पूर्णता की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग कर देयों के संग्रहण हेतु उपयुक्त यंत्राावली का विकास करनाऋ ➢ ;पद्ध जब्ती एवं जब्त की गई सम्पत्ति के निपटान हेतु वसूली कार्रवाइयां आरंभ करने के लिए समय–सीमा का निर्धरण करना, ;पपद्ध राजस्व वसूली प्रमाण–पत्रा के निर्गम तथा ऐसी समय–सीमा की अनुपालना को राजस्व संग्रहण की लम्बनता से बचने के लिए ध्यानपूर्वक मॉनीटर किया

y[kkijh{kk ifrosnu dk o"kZ	leh{kk dk uke	dh xbZ vuq'kalkvksa dk fooj.k
		जाना चाहिएऋ ➢ राजस्व वसूली कार्रवाई के अन्तर्गत बंद बकाया की जल्द वसूली को सुगम बनाने के लिए राज्य के भीतर विभागीय अधिकारियों के मध्य उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त यंत्राावली का विकास करनाऋ तथा ➢ बकायों के संग्रहण हेतु लक्ष्य नियत करना तथा ऐसे लक्ष्य के विरू(ए.एज तथा कलक्टरों, दोनों के निष्पादन की निकट से मॉनीटरिंग करना।
2010.11	औद्योगिक इकाई को बिक्री कर की छूट/आस्थगन एवं रियायत	स्कीम के सही मूल्यांकन और कार्यान्वयन के लिए, आबकारी एवं कराधन विभाग तथा उद्योग विभाग के कार्यचालन पर नियंत्राण लागू करने तथा कमियों को पूरा करने हेतु सरकार विचार कर सकती हैः ➢ भविष्य में नई कर रियायत स्कीम के बनाने में राज्य सरकार की सहायता के लिए स्वीकृत एवं प्राप्त प्रोत्साहनों का एक केन्द्रीयकृत डाटाबेस रखनाऋ ➢ व्यापार बंद करने वाली इकाइयों की देय वसूलियों की मानीटरिंग तथा तत्पर कार्रवाई करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों और आबकारी एवं कराधन विभाग के मध्य प्रभावी समन्वय के लिए प्रणाली स्थापित करनाऋ ➢ कर रियायत का लाभ लेने वाली इकाइयों के सही कार्यचालन पर निगरानी के लिए प्रणाली स्थापित करनाऋ तथा ➢ करों तथा अन्य देयों की तत्पर वसूली के लिए कार्रवाई प्रारम्भ करने के लिए क्रियान्वयन एजेंसियों में एक प्रभावी प्रणाली प्रवर्तित करना।
	अन्तर्राज्य व्यापार में प्रयुक्त घोषणा फार्मों के क्रास सत्यापन	यह सिफारिश की जाती है कि सरकार निम्नलिखित उपायों पर विचार करेः ➢ निर्धरण की पूर्णता के समय त्राुटिपूर्ण/अपूर्ण फार्मों के कारण अनियमित छूट के विस्तार से बचाव के लिए प्रभावी आन्तरिक नियंत्राण यंत्राावली की स्थापना करनाऋ ➢ निर्धरित समय अवध् के भीतर शाखा स्थानान्तरणों से संबंध्ति लेन–देनों के क्रास सत्यापन के लिए प्रणाली की स्थापना करनाऋ ➢ घोषणा फार्मों के उपयोग के लिए समय–सीमा होनी चाहिएऋ ➢ डीलरों से, उनके कर रिटर्नों को प्रस्तुत करते समय, घोषणा फार्मों के उपयोग प्रमाण–पत्रा मंगवाने के लिए समुचित जांच निर्धरित तथा निष्पादित की जानी चाहियेऋ तथा ➢ विक्रय/क्रय लेन–देनों का सत्यापन करने के लिए टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. पर प्रयुक्त घोषणा फार्मों के विवरण को अपलोड करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करना।

vuyXud-v
(lnHk vuPNn l[;k 1.10)

वर्ष 2011–12 की लेखापरीक्षा योजना।

Ø- l-	ikflr;k dh idfÙk	y[kkijh{kk ;kX; bdkb;k dh dy l[;k	,&okf"kd ch&v/okf"kd Vh-&=kokf"kd D;-&prokf"kd				o"k 2010&11 dk nkjku fu;kftr bdkb;k dh l[;k				2010&11 dk nkjku fu;kftr dy bdkb;k
			,	ch	Vh	D;k	,	ch	Vh	D;k	
1प	0039. राज्य उत्पाद शुल्क	39	21	18	.	.	21	8	.	.	29
2प	0030. स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	119	59	60	.	.	59	31	.	.	90
3प	0041. वाहनों पर कर	75	21	54	.	.	21	25	.	.	46
4प	0042. यात्री एवं माल कर	23	23	.	.	.	23	.	.	.	23
5प	0853.खदान एवं खनिज	16	8	8	.	.	8	4	.	.	12
6प	0040. बिक्री कर	61	33	.	.	28	33	.	.	7	40
7प	0043. विद्युत शुल्क	4	1	.	.	3	1	.	.	1	2
8प	0045. मनोरंजन	23	.	.	.	23	.	.	.	5	5
9प	0029. भू–राजस्व	119	.	.	.	119	.	.	.	29	29
10प	0039. फार्मेसी	18	.	.	.	18	.	.	.	4	4
	;kx	497	166	140	-	191	166	68	-	46	280